

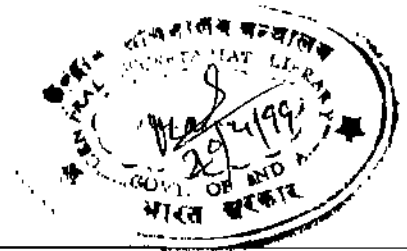


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं 8]
No. 8]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 1999/पौष 16, 1920
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 1999/PAUSA 16, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1999

सा. का. नि. 15(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 660(अ), तारीख 3 जुलाई, 1992 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अरूण कुमार, अध्यक्ष।
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री डी. के. जैन, सदस्य।
3. माननीय न्यायमूर्ति श्री विजेन्द्र जैन, सदस्य।

[फा. सं. 820/25/92-पी.आई.टी.एन.डी.पी.एस.]

जे. एल. साहनी, अवर सचिव

पाद टिप्पणी :—सा.का.नि. 660(अ), दिनांक 3 जुलाई, 1992 की अधिसूचना भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 3 जुलाई, 1992 में प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 1999

G.S.R. 15(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (No. 46 of 1988), and in supersession of the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) GSR 660(E) dated the 3rd July, 1992 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board consisting of :—

1. Hon'ble Mr. Justice Arun Kumar, Chairman.
2. Hon'ble Mr. Justice D. K. Jain, Member.
3. Hon'ble Mr. Justice Vijender Jain, Member.

[F. No. 820/25/92-PITNDPS]

J. L. SAWHNEY, Under Secy.

Footnote: The Notification GSR 660(E) dated the 3rd July, 1992 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on the 3rd July, 1992.